

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2013 सत्र
दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2013 (आषाढ 20, 1935)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 38 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचनाएं –

(i) क्रमांक एफ-44/9/2011/बीस-2, दिनांक 26 मार्च, 2011,

(ii) क्रमांक एफ-44-2011-बीस-2, दिनांक 20 जुलाई, 2011,

(iii) क्रमांक एफ-44-37-2010-बीस-2, दिनांक 1 जुलाई, 2010,

(iv) क्रमांक एफ-44-59-2010-बीस-2, दिनांक 1 जुलाई, 2010,

(v) क्रमांक एफ-44-84-2010-बीस-2, दिनांक 16 नवम्बर, 2010, अधिनियम की धारा 2 (डी); तथा

(vi) क्रमांक एफ-44-84-2010-बीस-2, दिनांक 16 नवम्बर, 2010, अधिनियम की धारा 2 (ई) ,

पटल पर रखेंगी.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के अटारघाट पर पांटून पुल संधारण हेतु रखी सामग्री की अवैध बिक्री होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, बाणसागर परियोजना की नहरों हेतु अधिग्रहीत भूमि का निर्धारित मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बृजमोहन धूत, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.”

(2) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री गिरीश गौतम, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पचासवें प्रतिवेदन से एक सौ चौहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री हरेन्द्रजीत सिंह “बब्बू”, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के-

(क) ग्राम केचुहा के रउरहा टोला में तालाब निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम रघुनाथपुर में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत केचुहा की मुख्य सड़क से नदी घाट तक रोड निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम रघुनाथपुर के प्राथमिक पाठ शाला से रेहडा टोला तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा

(ड.) ग्राम रघुनाथपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने,

(2) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के-

(क) कैमोर, विजयराघवगढ़ एवं बरही नगर में बायपास सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) बरही मार्ग की महानदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा

(ग) ग्राम सुतरी से खैरहार पहुँच मार्ग के उमडार नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(3) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम देवपुर एवं धनवाड़ा के मध्य नाले पर पुल निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

6. मंत्रिपरिषद पर अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा

4 घण्टे

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है.”

भोपाल :

दिनांक : 10 जुलाई, 2013

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा